



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

(पूर्ववर्ती: इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद)

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.
(Formerly: Allahabad State University, Allahabad)

पत्रांक: प्रो०रा०सि०वि०वि० / कु०स०का० / 457 / 2019

दिनांक 20 अगस्त, 2019

अत्यावश्यक / समयबद्ध / अनुस्मारक

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, उ०प्र०।

विषय: विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-प्रो०रा०सि०वि०वि० / कु०स०का० / 433 / 436 / 437 / 2019 (तीनों पत्रों का निर्गमन दिनांक 08.08.2019) द्वारा वांछित सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-प्रो०रा०सि०वि०वि० / कु०स०का० / 433 / 2019 दिनांक 08.08.2019, प्रो०रा०सि०वि०वि० / कु०स०का० / 436 / 2019 दिनांक 08.08.2019 तथा प्रो०रा०सि०वि०वि० / कु०स०का० / 437 / 2019 दिनांक 08.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इन पत्रों द्वारा वांछित सूचनाएं महाविद्यालयों के सम्यक् संचालन के लिए आवश्यक हैं और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37(5) में यह उल्लिखित है कि "Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council or the Vice-Chancellor may call for."

आप द्वारा वांछित सूचनाएं न प्रदान किया जाना, न केवल इन पत्रों में संदर्भित शासनादेशों का उल्लंघन है, बल्कि साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 37(5) का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में आपको पुनः इस अनुस्मारक के माध्यम से स्मरण कराया जाता है कि आप दिनांक 27.08.2019 तक उक्त तीनों पत्रों में वांछित सूचनाएं हार्ड कापी में विश्वविद्यालय के डाक प्राप्ति कक्ष में तथा साफ्टकापी विश्वविद्यालय की ई-मेल informationprsu@gmail.com पर उपलब्ध कराएं। महाविद्यालयों द्वारा उपर्युक्त पत्रों में वांछित सूचनाएं विश्वविद्यालय को उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में यदि विश्वविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक / दण्डात्मक कार्यवाही महाविद्यालय के विरुद्ध की जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(शेषनाथ पाण्डेय)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. उपकुलसचिव, विधि / परीक्षा / प्रशासन / शैक्षणिक।
4. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव / वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक।
5. निजी सचिव कुलपति को, माननीया कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

(शेषनाथ पाण्डेय)
कुलसचिव